संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 20/11/2020

क्रमांक शि–06/वि.स. 1045/2017/विजयपुर/18283 विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1045 आश्वासन क्रमांक 1099 नगर परिषद विजयपुर में तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी आर.बी. राजौरिया की पदस्थापना के दौरान उनके द्वारा निकाय कार्यो के लिये मुख्यालय से बाहर यात्रा हेतु किराये के वाहन लिये जाने एवं उसके भुगतान की सक्षम स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण उक्त विधानसभा प्रश्न उद्भूत हुआ। संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर/चंबल संभाग ग्वालियर द्वारा की गई जॉच के जॉच प्रतिवेदन में उत्तरदायी पाये गये अपचारी सेवक श्री रामबरण राजौरिया, तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद विजयपुर, जिला श्योपुर को संचालनालय के पत्र क्रमांक 13086 दिनांक 11.07.2018 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गए।

संचालनालय के आदेश क्रमांक 2794 दिनांक 06.02.2020 द्वारा अपचारी सेवक श्री रामबरण राजौरिया, तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद विजयपुर, जिला श्योपुर के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित कर संभागीय संयुक्त संचालक, ग्वालियर/चंबल संभाग ग्वालियर को जॉचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रमाणित आरोपो के संबंध में संचालनालय द्वारा अपचारी सेवक से अभ्यावेदन/प्रतिउत्तर चाहा गया। जिसके परिपेक्ष्य में अपचारी सेवक द्वारा दिनांक 27.10.2020 को अपना प्रतिउत्तर संचालनालय को प्रेषित किया। जिसमें नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपचारी सेवक श्री रामबरण राजौरिया, तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद विजयपुर, जिला श्योपुर पर लगाये गये आरोप पर जॉच अधिकारी की विवेचना निम्नानुसार है–

आरोप क्रमांक 01:– यह कि आप नगर परिषद विजयपुर जिला श्योपुर में दिनांक 02.03.2016 से 23.05.2017 तक मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे है। आपकी पदस्थी के दौरान आपने नगर परिषद विजयपुर से बाहर की यात्रायें किराये के वाहन से की है जिसकी आपको पात्रता नहीं थी। आपके उक्त कृत्य से निकाय को आर्थिक क्षति पहुॅची है। आपका उक्त कृत्य म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 92, 97 में दिये गये कर्तव्यों के पालन में चूक के दोषी है एवं 1961 के तहत बने लेखा नियम 1971 के नियम 81(2) (एक) (तीन) का भी उल्लंघन किया गया है एवं निकाय को राशि रूपयें 2,35,465/–की क्षति पहुॅचायी गयी है।

जांच अधिकारी का प्रतिवेदनः– प्रकरण में अपचारी सेवक के द्वारा उनकी पदस्थी के दौरान नगर परिषद विजयपुर से बाहर की यात्रायें किराये के वाहन से की गयी है। प्रकरण के अभियोजन साक्ष्यों के द्वारा अपने कथनों में उल्लेख किया गया है कि निकाय के पास स्वयं का कोई वाहन नही होने से अपचारी सेवक के द्वारा जिले की एवं संभागीय बैठकों में भाग लेने हेतु किराये के वाहन का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के द्वारा भी प्रस्तुत अपनी ब्रीफ में उल्लेख किया गया है कि निकाय के पास स्वयं का कोई वाहन नही होने से अपचारी सेवक एवं तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जिले की एवं संभागीय बैठको में भाग लेने हेतु किराये के वाहन का उपयोग किया गया। यह भी निश्चित है कि अपचारी सेवक के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के राशि रूपये 2,35,465/– का भुगतान किराये के वाहन हेतु किया गया किन्तु बार–बार बैठकों में उपस्थित होने हेतु वाहन किराये पर लिये गये, किन्तु सक्षम स्वीकृति के बिना वाहन किराये पर लिये गये है। अतः प्रक्रियात्मक त्रुटि की गयी है जिसके लिये वे आंशिक दोषी है।

संभागीय संयुक्त संचालक एवं जॉच अधिकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर/चंबल संभाग ग्वालियर के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी के उत्तर का परिशीलन किया गया।

निकाय के पास स्वयं का कोई वाहन नही होने से अपचारी सेवक एवं तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जिले एवं संभागीय बैठको में भाग लेने हेतु किराये के वाहन का उपयोग किया गया। तथा अपचारी सेवक के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति लिये राशि रूपये 2,35,465/– का भुगतान किराये के वाहन हेतु किया गया। जिससे म.प्र. नगरपालिका लेखा नियम 1971 के नियम 81(2)(एक)(तीन) का उल्लंघन किये जाने के दोषी पाये गये है।

अतः अपचारी सेवक श्री रामबरण राजौरिया, तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद विजयपुर, जिला श्योपुर द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त न करने की प्रक्रियात्मक त्रुटि की जा कर अनियमित भुगतान करने के लिये उत्तरदायी पाये जाने पर म.प्र. राज्य नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) 1973 के नियम 31 एवं सिविल सेवा (वर्गीकरण अपील एवं नियंत्रण) नियम 1966 के नियम 10 अंतर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. शासन

पृ.क्रमांक शि–06/वि.स. 1045/2017/विजयपुर/18284 भोपाल दिनांक 20/11/2020

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय आवास एवं विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर/चंबल संभाग ग्वालियर एवं सागर संभाग सागर की ओर दण्डादेश संबंधित की सर्विस बुक में इंकित की जाकर अवगत करायें।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद विजयपुर, जिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ।
4. अपचारी सेवक श्री रामबरण राजौरिया, तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद विजयपुर, जिला श्योपुर वर्तमान– मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका बीना जिला सागर की ओर सूचनार्थ।
5. श्री नरेन्द्र भगत, मैनेजर आई.टी. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल।

आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. शासन